प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विमलेश पुत्र श्री छुन्नूलाल तेली, निवासी जनपद-कन्नौज की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12189/प्रोबे0अनु0(2)-223/सला0समिति/(एम-19-05-2021), दिनांक 20-05-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विमलेश पुत्र श्री छुन्नूलाल तेली, ग्राम-बेहरिन, थाना-तिर्वा, जनपद-कन्नौज का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 07.11.**2003** को मृतक की बहन द्वारा अभियुक्त रामलखन के खेत से दरारी की फली तोड़ने को लेकर हुए विवाद में 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व लाठी से 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-20/04 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 307/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय कक्ष संख्या-1, कन्नौज के आदेश दिनांक 20.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-27.11.2012 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक-13.02.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.03.2021 तक 17 वर्ष 01 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 11 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 02.03.2021 तक 46 वर्ष है।

पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज की आख्या के अनुसार बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी की आयु 45 वर्ष है, अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी के जेल में रहने से दोनों पक्षों की प्रक्रिया सामान्य होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं होने का उल्लेख करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। सलाहकार समिति के अनुसार बन्दी ने दिनांक 07.11.**2003** को मृतक की बहन द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अभियुक्त रामलखन के खेत से दरारी की फली तोड़ने को लेकर हुए विवाद में 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व लाठी से 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। बन्दी की आयु के दृष्टिगत अपराध करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। बन्दी के जेल में रहने से दोनों पक्षों की प्रक्रिया सामान्य रहेगी। बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त न होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 सपठित धारा-433 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विमलेश पुत्र श्री छुन्नूलाल तेली को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी विमलेश (बन्दी संख्या-18414) पुत्र श्री छुन्नूलाल तेली, निवासी जनपद-कन्नौज की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-104/2021/1109(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कन्नौज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in